



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 828 /अकादमी/अधिसूचना/2022

भोपाल, दिनांक 12/05/22

### संशोधित अधिसूचना

प्रबंध अध्ययन समिति एवं विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20.01.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.02.2022 में वी0वॉक अध्यादेश के अंतर्गत नवीन स्पेशलाइजेशन विषयों/पाठ्यक्रमों सत्र 2022.23 से प्रभावशाली किया जाना है। उल्लेखित पाठ्यक्रमों की संबंधिता/निरीक्षण/निरंतरता शुल्क/सावधि राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	विषय/कक्षा	अस्थाई संबंधिता शुल्क प्रत्येक वर्ष	निरीक्षण शुल्क	निरंतरता शुल्क प्रत्येक वर्ष	सावधि राशि एक मुश्त
1.	वी.वॉक.	रीटेल मेने. (प्रथम से षष्ठम् सेमेस्टर)	25000/-	5000/-	25,000/-	1,00,000/-
2	वी.वॉक.	टूरिज्म एण्ड सर्विस इंडस्ट्री (प्रथम से षष्ठम् सेमेस्टर)	25000/-	5000/-	25,000/-	1,00,000/-
3	वी.वॉक.	बैंकिंग एण्ड फायनेशियल सर्विसेस (प्रथम से षष्ठम् सेमेस्टर)	25000/-	5000/-	25,000/-	1,00,000/-
4	वी.वॉक.	ई-कॉमर्स एण्ड डिजिटल मार्केटिंग (प्रथम से षष्ठम् सेमेस्टर)	25000/-	5000/-	25,000/-	1,00,000/-

  
कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

